

Handwritten marks and numbers: 44, 8, 118

# क्षेत्र में फल-फूल रहा है अवैध गैस का व्यापार : जानलेवा हादसों की संभावना

श्रीगंगानगर, 22 जनवरी। इस पूरे संभाग में अवैध रूप से एल.पी.जी. गैस की बिक्री व छोटे सिलेण्डरों में गैस का भरना जैसा व्यापार फल-फूल रहा है। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जैसे बड़े नगरों के साथ-साथ छोटे-छोटे कस्बों में भी यह धंधा दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। जबकि इससे कभी भी कोई जानलेवा हादसा हो सकता है। गत 12 जनवरी को ऐसा ही एक सिलेण्डर फटने से नई दिल्ली के भजनपुरा क्षेत्र में नौ व्यक्ति घायल हो गए। वहां बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में गैस भरी जा रही थी।

एसोसिएशन ऑफ पैरलल एलपीजी मार्केटर्स एंड कंज्यूमर्स नई दिल्ली ने इस दुर्घटना के कारण देश के प्रमुख समाचार-पत्रों व अधिकारियों का ध्यान इस तरफ दिलाते हुए अवैध सिलेण्डरों व गैस का भरने व बिना लाइसेंस बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। इस एसोसिएशन के अनुसार बड़े सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डर में एलपीजी गैस का स्थानांतरण करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यह स्टेफिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स 1981 के अन्तर्गत आता है व यह कार्य केवल मुख्य नियंत्रक (विस्फोटक) नागपुर द्वारा जारी लाइसेंस के अन्तर्गत बॉटलिंग प्लांट में ही किया जा सकता है। एलपीजी गैस से भरा हुआ मानक सिलेण्डर केवल घरेलू इस्तेमाल के लिये सार्वजनिक वितरण प्वाइंट द्वारा सप्लाई किया जाता है परन्तु राज सहायता प्राप्त घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोग एक दण्डनीय अपराध माना जाता है। इसके अलावा छोटे सिलेण्डर जो आई.एस.आई. मार्का न होने पर खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। सिलेण्डरों का विनिर्माण मुख्य नियंत्रक से लाइसेंस प्राप्त करके, कटोर, सुरक्षा सावधानियां और मानक विशिष्टियों के अनुसार किया जा सकता है।

इसका अवैध कार्य आई.एस.आई.

प्रमाणीकरण और मानक अलाय स्टील जो केवल स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध है, के बिना लघु उद्योगों के किया जाता है। इस प्रकार अवैध कार्य करने वाले व्यक्ति कम कीमत पर इस अवैध सिलेण्डरों को रोशनी के लिये बेचते हैं परन्तु इससे भयंकर दुर्घटनाएं होती हैं। उपभोक्ता इसकी गुणवत्ता की कसौटी खरीदते हैं, परन्तु इससे उन पर यह खतरा कमजोर बाँड़ी सिलेण्डर के कारण मंडराता रहता है। यह सिलेण्डर रोशनी के अलावा इंधन के लिये भी एक कि.ग्रा. से 5 कि.ग्रा. बिना आई.एस.आई. प्रमाणीकरण के अनाधिकृत रूप से निर्मित कर इनमें गैस भरकर बेचा जाता है। जबकि लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस रेगुलेशन्स एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 93 से 95 के अनुसार बिना आई.एस.आई. प्रमाणीकरण का गैस सिलेण्डर बेचना या एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस भरना एक दण्डनीय अपराध है।

छोटे सिलेण्डरों के अनुसार बड़े सिलेण्डरों द्वारा एल.पी.जी. का वितरण व विपणन करने के लिये कुछ फ्रॉड कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं से धोखाधड़ी के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना 1995 ने बिना रेटिंग तय करायें कार्य करने पर रोक लगा दी है। परन्तु इसके बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र में ऐसी कम्पनियां धोखाधड़ी कर एल.पी.जी. गैस का वितरण का कार्य कर रही हैं जिनकी रेटिंग भी तय नहीं है व उनके पास लाइसेंस तक नहीं है व राजकीय सहायता प्राप्त एल.पी.जी. सिलेण्डरों से गैस निकालकर बेच रहे हैं। जनता से धोखाधड़ी व उनके जीवन से खिलवाड़ करने वाले संबंधित लोगों पर रोक लगाने की मांग उक्त एसोसिएशन ने की है।

Gas cylinder  
rackets put  
consumers  
lives at stake

the basis of evaluation. The law also adds that no person shall fill any cylinder with liquefied petroleum gas from one cylinder to another or from one container to another unless authorized by the chief controller of cylinders. The standard cylinder filled with LPG gas is supplied by the public distribution point strictly for domestic use because liquefied petroleum gas is for domestic consumers. Only licensed parallel marketers holding a valid license issued by the CCE, Jaipur and a licence being certificate issued by the testing agency can deal with LPG gas. The rampant sale of the gas in small cylinders is also reported by a large number of consumers. This is because they are cheap and the refilling period is extremely short. The small cylinders are cheap and it suffers the needs of a clientele consisting of students and single persons. Says a Delhi University student, "For us it is easy to buy these cylinders because tomorrow we don't know where we will go. Moreover bigger cylinders are expensive for temporary use." The shops around the UJ campus are doing touting business as they are the "refilling centers" as they are called (not all names of safety, some even are located inside houses, and some street corners). Licensed inside shops or even obtaining a valid certificate on New Delhi, Jan. 24: On January 12 a cylinder that a Singaporean woman had filled killed 9 persons including four children. Two women were seriously injured. According to the local police the gas was caused when a man was trying to transfer liquefied petroleum gas from a standard cylinder to a smaller one. Incidents like these are quite common not only in Delhi but also in other parts of the country. The reason behind these gas-related incidents are not very different to ascertain. A visit to any market in and around Delhi, one is sure to find things selling these brightly painted small cylinders (from 1 kg to 2 kg) all being marked with ISI certification. Most of them are made in Haryana but are sold all over the city. Transferring of LPG from bigger to smaller cylinder is a hazardous operation and is equivalent to transferring an explosive substance from one storage medium to another. The fight against the State and Mobile Pressure vessels (Amended) rules, 1981. After according to the law, no person who is engaged in any activity involving the import, transport, bottling, marketing, distribution and sale of any activity incidental thereto relating to the business of liquefied petroleum gas without obtaining a valid certificate on